दिनाक 19.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति–19/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः वर्ष 2020 में जनपद सुल्तानपुर में तीन लाख रूपये की लूट घटना में फरार रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी गोलू उर्फ अफरोज गिरफ्तार।

आज दिनांक 19–02–2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को मु0अ0सं0–857/2020 धारा–395,412 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर, जनपद सुलतानपुर में वांछित रू0 50,000/– के इनामी अपराधी गोलू उर्फ अफरोज पुत्र एजाज उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

गोलू उर्फ अफरोज पुत्र एजाज उर्फ मुन्ना निवासी बजूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सुलतानपुर

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः–

दिनांक 19.02.2021 समयः अपरान्ह 12:30 बजे टेडुई मोड़ से कादीपुर रोड पर लगभग 150 मीटर की दूरी पर थाना कोतवालीनगर जनपद सुलतानपुर।

बरामदगीः– रू0–500/– नगद व एक अदद आधार कार्ड नं0–829486811752

विगत कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार वर्मा एस0टी0एफ लखनऊ द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

उल्लेखनीय है कि अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एस0टी0एफ0 टीम को सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0–857/2020 धारा–395,412 भा0द0वि0 थाना कोतवालीनगर, जनपद सुलतानपुर में वांछित रू0 50,000/–का इनामी अपराधी गोलू उर्फ अफरोज पुत्र एजाज उर्फ कहीं जाने की फिराक में थाना कोतवालीनगर, जनपद सुलतानपुर अर्न्तगत टेडुई मोड़ से कादीपुर रोड पर लगभग 150 मीटर दूरी पर खड़ा है। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर अभियुक्त गोलू उर्फ अफरोज को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त गोलू उर्फ अफरोज उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि लगभग 03 वर्ष पूर्व अमहट में ब्रिज के ऊपर तारिक हासिमी, आसिफ, राजेन्द्र तिवारी व सुहेब के साथ मिलकर 03 लाख रूपये के लूट की घटना कारित की थी, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0–857/2020 धारा–395,412 भा0द0वि0 थाना कोतवालीनगर जनपद सुलतानपुर में पंजीकृत हुआ था, जिसमें वह फरार चल रहा था और जनपद सुलतानपुर से उस पर रू0 50,000/– का इनाम घोषित हो रखा था। फरारी के दौरान वह गुजरात में सूरत रेलवे स्टेशन के पास पाटिल चाल में सलारपुर के सोनू के साथ किराये के कमरे में रहता था तथा जीन्स व पैण्ट आदि बेंचता था। इसके अतिरिक्त पयागीपुर में रानू, गोलू, निहाल, संदीप, सुभम तिवारी के साथ लूट किया था। अभियुक्त गोलू उर्फ अफरोज के विरूद्ध कुल 05 अभियोग पंजीकृत होना प्रकाश में आया है और यह मु0अ0सं0–857/2020 धारा–395,412 भा0द0वि0 थाना कोतवालीनगर जनपद सुल्तानपुर में वांछित चल रहा था, जिस पर पचास हजार रूपये का पुरूस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त गोलू उर्फ अफरोज के विरूद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत होना ज्ञात हुआ हैः–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	96/18	3/25 आर्म्स ऐक्ट	को0नगर	सुलतानपुर
2	403/18	392/411 भादवि	को0नगर	सुलतानपुर
3	465/18	307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट	को0नगर	सुलतानपुर
4	538/18	395/412 भादवि	को0नगर	सुलतानपुर
5	857/20	395/412 भादवि	को0नगर	सुलतानपुर

गिरफ्तार अभियुक्त गोलू उर्फ अफरोज को मु0अ0सं0—857/2020 धारा—395/412 भादवि थाना कोतवालीनगर जनपद सुलतानपुर में दाखिल किया गया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना कोतवालीनगर जनपद सुलतानपुर द्वारा की जा रही है।

<u>जनपद प्रतापगढ़/थाना कंधई</u>

06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,

लूट की घटना का अनावरण,

लूट के 06 लाख 78 हजार 400 रूपये नगद,

01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित कारतूस,

01 अवैध तमंचा , 02 जीवित कारतूस,

घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 01 मारूति अर्टिगा कार बरामद

दिनांक 19.02.2021 को थाना कंधई व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कन्धई के ताला मोड़ से 06 अभियुक्तों 1—मोनू 2—कुलदीप 3—शेखर 4—राजेश उर्फ जज्जे 5—सोनू 6—कमलेश को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 06 लाख 78 हजार 400 रूपये नगद, 01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित कारतूस, 01 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 01 मारूति अर्टिगा कार बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 13.01.2021 को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कंधई पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध मे ंथाना कंधई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः—</u>

1—मोनू निवासी रेड़ीगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

2—कुलदीप निवासी रेड़ीगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

3—शेखर निवासी मगरौरा थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

4—राजेश उर्फ जज्जे निवासी अकारीपुर तिवराम थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

5—सोनू निवासी रेड़ीगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

6—कमलेश निवासी रेड़ीगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

<u>बरामदगीः—</u>

1—लूट के 06 लाख 78 हजार 400 रूपये नगद,

2—01 अवैध पिस्टल 02 जीवित कारतूस,

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस,

4—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल,

5—01 मारूति अर्टिगा कार।

जनपद एटा/थाना नयागांव

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 18.02.2021 को थाना नयागांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिथरा भट्टा तिराहे के पास से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त राकेश उर्फ बब्लू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गाजियाबाद, कासगंज, एटा, के विभिन्न थानो पर चोरी, अपहरण, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना अलीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0ः 337/2020 धारा 2/3 यू0पी0गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तार हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नयागांव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

राकेश उर्फ बब्लू निवासी मझोला थाना पटियाली जनपद कासगंज।

बरामदगीः–

01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस ।

जनपद बस्ती/थाना कोतवाली

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **धोखाधड़ी के 01 लाख 82 हजार 500 रूपये नगद,**
- **01 होण्डा अमेज कार,**
- **01 बैग, 10 चेक, 03 डायरी आदि बरामद**

दिनॉकः 18.02.2021 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हरदिया चौराहे से अभियुक्त अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से धोखाधड़ी के 01 लाख 82 हजार 500 रूपये नगद, 01 होण्डा अमेज कार, 01 बैग, 10 चेक, 03 डायरी आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो अपने साथियों के साथ दिल्ली से गाड़ी बुक कराकर दूर दराज के क्षेत्रो में व्यापारियों व बैंको से पैसा निकालने वाले लोगो को झॉसे में लेकर धोखाधड़ी करके उनके पैसे हासिल कर लेते है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा दिनॉकः 04.02.2021 को थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यापारी से धोखाधड़ी कर बैग सहित रूपये लेकर फरार हो गये थे, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0–47/2021 धारा 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

अर्जुन निवासी ई–ब्लाक 281, द्वितीय फ्लोर इन्द्रपुरी जे0जे0 कालोनी थाना इन्द्रपुरी, दिल्ली।

बरामदगीः–

1–धोखाधड़ी के 01 लाख 82 हजार 500 रूपये नगद,

2–01 होण्डा अमेज कार,

3–01 बैग, 10 चेक, 03 डायरी आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट के 19 हजार 900 रूपये नगद,**
- **02 मोटर साइकिल,**
- **04 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनॉकः 19.02.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे क्रासिंग सफेदाबाद से 04 अभियुक्तों 1—मुकेश 2—नन्हा 3—राजन 4—विनय कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 19 हजार 900 रूपये नगद, 02 मोटर साइकिल, 04 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 18.02.2021 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1—मुकेश कुमार निवासी जीतनगर थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी।

2—नन्हा निवासी दुन्दुपुरवा थाना कोतवालीनगर जनपद बाराबंकी।

3—राजन निवासी बरेठीपुरवा थाना देवां जनपद बाराबंकी।

4—विनय कुमार निवासी जीतनगर थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी।

बरामदगीः—

1—लूट के 19 हजार 900 रूपये नगद,

2— 02 मोटर साइकिल,

3—04 मोबाइल फोन आदि।

जनपद इटावा /थाना बकेवर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को मृत्यु तक जेल में रहने एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना में थाना बकेवर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त भूरा मुस्लिम उर्फ वकील को मृत्यु तक जेल में रहने की सजा व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना सिविल लाइन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कारावास व 20–20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे–02एससी/एसटी एक्ट जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 326/307/120बी/34/420/467/468/471 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्तों 1–बॉबी उर्फ पंकज, 2–अमित, 3–अशोक, 4–प्रहलाद को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

–––––